संख्या-5/2018/925/43-1-2018

प्रेषक,

एस0आर0यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रशासनिक सुधार विभाग,
उ0प्र0 शासन।

प्रशासनिक सुधार अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 06 अगस्त, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-22/43-प्र0सु0निदे०-2018, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक सुधार निदेशालय हेतु मानक मद-"15-गाड़ियों का अनुरश्रण और पेट्रोल आदि की खरीद में" प्राविधानित धनराशि रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख मात्र) के सापेक्ष रूपये 1,10,000/- (रूपये एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि मानक मद- "52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)" में पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियामिता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान-46 के अधीन लेखा शीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-04 प्रशासनिक सुधार निदेशालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)" के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखा शीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

एस0आर0 यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
5. अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार लेखा, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतिया)।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 (तीन प्रतिया)।

आज्ञा से,

(एस0आर0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम:- अनुदान संख्या-46 वित्तीय वर्ष 2018-19

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड, में आयोजनेत्तर) ''2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय-00-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद''	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में आयोजनेत्तर) ''2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय-00-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)"	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2052-00-091-04-00-15	4.00	1.10	1.10	1.10	2.90	2052-00-091-04-00-52	4.59	5.69	1.10	1.10	5.69
कुल योग	4.00	1.10	1.10	1.10	2.90		4.59	5.69	1.10	1.10	5.69

<u>बचत एवं व्याधिक्य का कारण</u>

1- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 08-मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद में रू 1.10 लाख की बचत उपलब्ध है।
2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13-पुनरीक्षित वेतन के अवशेष भुगतान हेतु पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण रू0 1.10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

महालेखाकर, उ0प्र0, इलाहाबाद।
आर0ई0 सं0 63/यू0ओ0-ई-9-395 /दस-2018 दिनांक 31 जुलाई, 2018

(एस0आर0यादव)
संयुक्त सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग।

(संजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।

संख्या एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
5. अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार लेखा, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतिया)।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 (तीन प्रतिया)।

आज्ञा से,

(एस0आर0यादव)
संयुक्त सचिव।